न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—201/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00201)

1. शम्भू सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
2. शंकर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
3. गजराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
   सभी जाति राजपूत, निवासीगण जालिया तृतीय, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मु. विजेन्द्र कंवर बेवा विजय सिंह
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र विजय सिंह
3. महावीर सिंह पुत्र छोटू सिंह
4. भवानी सिंह पुत्र छोटू सिंह
5. मु.भंवर कंवर बेवा रामसिंह
6. दशरथ सिंह पुत्र रामसिंह
7. महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
9. गोपाल सिंह पुत्र गंगा सिंह (फौत) नाम तर्क
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण जालिया तृतीया, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सरवाड़, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2016 उपखण्ड अधिकारी सरवाड़, राजस्व वाद संख्या 101/2008.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एस. पी. औझा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10.
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 101/08 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 व 92ए बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन, इंद्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद दिनांक 15.4.2008 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किए गए जिस पर अपीलांटस द्वारा जवाब प्रस्तुती के उपरांत बिना तनकीयात बनाए एकपक्षीय कार्यवाही अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 24.6.2011 को की जाकर एकपक्षीय डिक्री दिनांक 28.12.2012 को पारित किए जाने के आदेश दिए थे उसके पश्चात तहसीलदार से पालना रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश दिए गए है जिस बाबत अपीलांटस को नोटिस जारी किए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई जाकर दिनांक 15..4.2015 को प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक सांपला व पटवारी हल्का जालिया द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 2.3.2015 को तहसीलदार सरवाड द्वारा दिनांक 15.4.2015 को उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को प्रेषित किया गया है। जिस पर दिनांक 24.9.2015 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा राजस्व मैन्यूअल के नियम 18 से 21 की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कुरेजात तैयार करने के लिए आदेश दिए। इसके बावजूद बिना मौके पर तहसीलदार द्वारा गए बिना अपीलांटस व्यथित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिए पूर्व में प्रेषित मौका पर्चा जो कि पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक सांपला द्वारा दिनांक 2.3.2015 को बनाया गया है के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 14.9.2016 से वादग्रस्त आराजीयात को विभाजन किए जाने के आदेश पारित किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 08 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा दिनांक 4.1.2016 को उपस्थित होकर प्रदत्त प्रारंभिक डिक्री एवं कुरेजात पर आपत्ति की गई है जिस पर पत्रावली को वास्ते बहस नियत किया गया है एवं इसके उपरांत अपीलांटस के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर निर्णय व डिक्री दिनांक 14.9.2016 को पारित किए गए है जिस बाबत अपीलांटस को उनके अधिववक्ता द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। आक्षेपित निर्णय व डिक्री के अनुसरण में हाल ही में निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2018 को मौके पर अजनबी व्यक्तियों को बुलाया जाकर मुख्य सड़क से लगती हुई आराजीयात को बेचान किए जाने की धमकी दिए जाने एवं बुवाई में रूकावट किए जाने पर अपीलांटस द्वारा आपत्ति की गई जिस पर उनके द्वारा स्वयं के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 14.9.2016 को पारित होने व उक्त जमीन स्वयं के हिस्से में आने बाबत धमकाया गया। जिस पर अपीलांटस द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय व डिक्री की जानकारी चाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गई। उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.6.2018 को प्रमाणित प्रति दिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 29.6.2018 को प्रमाणित प्रति तैयार कर अपीलांटस को प्रदान की गई। इसके पश्चात अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस के मध्य पारिवारिक राजीनामा 50 वर्ष पूर्व हो रखा है जिस अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। रेस्पोडेंटस को उक्त संदर्भ में समस्त जानकारी होने के उपरांत भी अवैध रूप से राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें बिना पक्षकारान की सुनवाई किए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की नोटिस सुनवाई हेतु अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 3 लगायत 9 को जारी नहीं किए गए ना ही किसी प्रकार की तामिली अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 3 लगायत 9 पर की गई है। जिसमें बिना पक्षकारान की सुनवाई किए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री में अपीलांट संख्या 3 की उपस्थिति दर्शायी जाकर बंटवारे हेतु ऐतराज नहीं होना वर्णित करते हुए निर्णय पारित किया गया है। आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वास्ते बहस प्रारंभिक डिक्री पत्रावली दिनांक 6.9.2013 को नियत की गई किंतु इसके उपरांत अपीलांट के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा तलबी हेतु नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए है किंतु किसी प्रकार की तामिली जारी नहीं कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 के अनुसरण में पत्रावली में तहसीलदार सरवाड को मौके पर जाकर स्वयं बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाने हेतु आदेश दिए गए है इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक सांपला एवं पटवारी हल्का जालिया द्वारा तैयार प्रस्ताव दिनांक 2.3.2015 मय राजस्व रिकार्ड की प्रतियां दिनांक 15.4.2015 को प्रेषित की गई है जिस बाबत उखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 24.9.2015 को पालना रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर सी0एस0 किए गए है जबकि राजस्व मैन्यूअल के नियत 18 से 21 में स्वयं मौके पर जाकर कुरेजात तैयार करने के लिए पाबंद है। उक्त आदेश की अनुपालना किए बिना पूर्व में प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 2.3.2015 पर ही तहसीलदार सरवाड द्वारा यथा प्रस्तावित लिखा जाकर दिनांक 18.12.2015 को उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया है एव उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा स्वयं के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.2015 के विपरित उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में

त्रुटि कारित की गई है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार अंकित की है वह अस्वीकार है प्रार्थी ने उपस्थित होकर अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया एवं दिनांक 15.9.2009 को जवाब पेश किया एवं तत्पश्चात अपनी ओर से एक नया अभिभाषक नियुक्त किया और उसके पश्चात प्रतिवादी/अपीलांट एंव उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के बाद दिनांक 24.6.2011 को कार्यवाही अगल में लाई गई एवं वर्ष 2011 के बाद उनकी ओर से कोई अन्य विधिक चाराजोही नहीं की गई तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं उसके पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांटस व उनके अधिवक्ता की एकपक्षीय कार्यवाही सन 2011 में ही कर दी गई इसलिए उक्त मद संख्या 2 में अंकित कथन आधारहीन बेबुनियात एंव मनगढंत है तथा अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से कब सम्पर्क किया गया जिस बाबत कोई अंकन नहीं है व उनके अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ली गई हो कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वर्णित आराजीयात ग्राम जालिया तृतीय तहसीलदार, सरवाड़ में स्थित है, आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार हैः—खेवट नयी 194, खतौनी पुरानी 192 के खसरा नम्बर 464 रकबा 14—05—00 बीघा बारानी, खसरा नम्बर 464/781 रकबा 07—03—00 बीघा है। उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवाद संख्या 1 लगायत 3 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एवं 4 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 का 1/3 संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा खेवट नयी 195, खतौनी पुरानी 183 के खसरा नम्बर 309 रकबा 00—10—00, खसरा नम्बर 310 रकबा 3—08—00, 326 रकबा 2—17—00, 487 रकबा 6—00—00, 489 रकबा 7—12—00, खसरा नम्बर 656 2—18—00, 664रकबा 00—04—0 खसरा नम्बर 665 रकबा 6—03—00 कुल किता 9 कुल रकबा 32—73—00 बीघा वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को सयुंक्त रूप से1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है एवं इसी हिस्से के अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण अधिकतर बाहर रहते है जिसके कारण प्रतिवादीगण की नीयत बद हो गई है इसलिए आये दिन सीमा बाबत् विवाद करते है एवं वादीगण की आराजीयात में जानवरों द्वारा फसलो को नष्ट भ्रष्ट कर देते है। दिनांक 15.03.2008 को वादीगण अपने खेत पर गये तो प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तुम्हारे हिस्से की आराजीयात पर जबरदस्ती नाजायज एवं अवैध रूप से कब्जा करेगे। इसलिए वाद कारण उत्पन्न होने से पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत 88, 89, 53, 188, 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.04.2008 को वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 30.05.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतानाम पेश करने हेतु समय चाहा तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री निर्मल चौधरी एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 14.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 19.05.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया था। दिनांक 24.06.2011 को प्रतिवादीगण की आरे से अधिवक्त उपसिथत नही उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही गई। अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी बंटवारा प्रस्ताव पर बहस हेतु पूर्व में प्रतिवादीगण के खिलाफ हुई एक्स पार्टी के बावजूद न्यायहित में प्रतिवादीगण को सुनवाई कर अवसर दिया गया तथा दिनांक 04.08.2016 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण में से गजराज सिंह पुत्र बाघसिंह तथा शंकरसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह ही हाजिर हुए। गजराज सिंह ने बंटवारा करने में कोई एतराज जाहिर नहीं किया। शंकर सिंह पुत्र विजयसिंह द्वारा बताया गया कि विजयसिंह जो कि वादी संख्या 01 का पति व वादी संख्या 02 का पिता है ने अपने हिस्से की जमीनों को पहले अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर चुका है, उसका वादवर्णित भूमि कोई हिस्सा नही है। प्रारम्भिक डिक्री बंटवारा प्रस्तुत दिनांक 02.03.2015 को तहसीलदार, सरवाड़ ने मौका देख कर विधि सम्मत प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नही की है। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार अंतिम डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किए है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पो0संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 व 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद दिनांक 28.12.2012 को स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की गई तत्पश्चात् दिनांक 07.05.2014 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, सरवाड़ को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिय गये । तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 14.9.2016 को बाद में अंतिम डिक्री पारित की है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 02.03.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार न कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है । तहसीलदार द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर मात्र प्रस्तावित अंकित कर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर किए जाकर रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय को प्रेषित की गई है । जबकि राजस्व मैन्यूअल के नियम 18 से 21 के अनुसार स्वयं तहसीलदार को मौके पर बंटवारा प्रस्ताव नय नक्शे के भिजवाया जाना आज्ञापक है । किन्तु वस्तुगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पर स्वयं के प्रतिहस्ताक्षर कर रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय को भिजवाई गई है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर बाद में अंतिम डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस का मुख्यरूप से यह कथन रहा है कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय तहसीलदार द्वारा अपीलांटस को किसी प्रकार की सूचना/नोटिस नहीं दिया गया तथा उक्त रिपोर्ट अपीलांट को सुने बिना एकतरफा के तैयार की गई है । अपीलांटस के उक्त कथनों की पुष्टि मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है । ऐसी स्थिति में एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.9.2016 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

10. परिणामत् अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.09.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार से उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपत्ति आमंत्रित कर उभयपक्ष को सुनकर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान स्वयं या जरिये अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के समक्ष दिनांक 06.01.2023 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर